कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 811 /11–सी–FP/UP/Others/7610/2014,लखनऊः दिनांकःअक्टूबर 24 ,2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सुलतानपुर।

विषयः– जनपद–सुल्तानपुर में वाराणसी–लखनऊ रा0रा0 मार्ग सं0–731 (पुराना एन0एच0–56) के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम–आनापुर नरायनगंज भूखण्ड सं0–596 व 597 तथा ग्राम–शेरपुर परशुरामपुर भूखण्ड सं0–158 परगना–चांदा, तहसील–लम्भुवा जनपद–सुल्तानपुर में बी0पी0सी0एल0 का पेट्रोल/डीजल का रिटेल आउटलेट श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री सत्य नारायण सिंह, निवासी ग्राम–जलालपुर, पो0–कादीपुर, जिला–सुल्तानपुर की डीलरशिप में स्थापित किये जाने हेतु मार्ग से पेट्रोल पम्प स्थल तक आवागमन हेतु 0.15481 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद का पत्रांक–1171/14–10, दिनांक–13.10.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र संलग्न नही है, संलग्न करे।

2– प्रस्तावित वनभूमि के बदले दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, जो स्वीकार्य नही है। अतः प्रभावित वनभूमि के बदले 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन वर्तमान दर व Cast escalation सहित संशोधित कर संलग्न करे।

3– एन0पी0वी0 में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न नही है।

4– ऑन लाइन पार्ट–2 व हार्ड कापी के भाग–2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान उचित विवरण अंकित करें तथा हार्ड कापी के भाग–2 में हरियाली का घनत्व भी अंकित करे।

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृष्ठ संख्या–53, 54 व 71 पर संलग्न वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

6– उक्त अभिलेख संलग्न कर संशोधित विषयसूची संलग्न करे।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 811 /11–सी– **FP/UP/Others/7610/2014** ,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री सत्य नारायण सिंह, निवासी ग्राम–जलालपुर, पो0–कादीपुर, जिला–सुल्तानपुर।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

ACY-739